

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ 6()CAO/DLB/ बजट घोषणा/2017-18/ 22390

दिनांक :- 15-10-18

कार्यकारी निदेशक,
रूडसिको, जयपुर।

विषय:- RUIRP-I के अन्तर्गत क्रियान्वित करवाये जा रहे कार्यों में नगरीय निकायों को राशि उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2017-18 की क्रियान्विती के संबंध में राज्य के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में सड़क निर्माण/सड़क सुधार से संबंधित कार्य करवाये जाने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक प.6(ड) लेखा/डी.एल.बी/2017/सड़क निर्माण/20677 दिनांक 08.11.2017 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। निकायों को इस हेतु राशि उपलब्ध करवाने के क्रम में हडको से राशि रु. 1572.00 करोड़ का ऋण स्वीकृत करवाया गया था। जिसके क्रम में हडको द्वारा राशि रु. 1056.00 करोड़ (आवश्यक कटौती से पूर्व) ऋण की प्रथम किस्त के रूप में उपलब्ध करवाई गई है। चूंकि हडको द्वारा ऋण स्वीकृति के समय कार्यों की अनुमानित लागत का 90 प्रतिशत ही ऋण स्वीकृति हेतु शर्त रखी गई थी।

अतः निकायों को राशि आवंटित करते समय इस बात की सुनिश्चिता करे की निकायों को कार्यादेश की राशि की कुल 90 प्रतिशत राशि ही हस्तान्तरित हो।


(पवन अरोड़ा)


निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :- एफ 6()CAO/DLB/ बजट घोषणा/2017-18/ 22391-586

दिनांक :- 15-10-18

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वा0 शासन विभाग राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
5. आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि यदि नगरीय निकाय द्वारा कार्यादेश से अधिक राशि के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है, तो उक्त अतिरिक्त कार्यों पर होने वाला व्यय नगरीय निकायों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
6. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ईमेल करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


(हुलास राय पवार)
मुख्य लेखाधिकारी